


23/8/19



वादी - वकील की ओर से प्रार्थना-पत्र

पेश कर निवेदन किया गया कि वाद  
सं. 93/19 में संबंधित पक्षकाराने ने  
आपसी राजीनामे से समझौता कर  
लिया है एवं वे उक्त मुकदमे को आगे  
चलाना नहीं चाहते हैं एवं विद्वाल करवाना  
चाहते हैं। अतः प्रार्थना - पत्र स्वीकार  
किया जाकर शामिल फाइल कर एवं  
पत्रावली को विद्रो किया जाता है। पत्रावली  
फैसलशुमार हो नम्बर से कम हो।

